6/6/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान :

[illegible] 2018 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
36/2006/वाद पत्र	02.03.2006	06.06.2018

उनवान

मु0 केदार बाई पत्नि कल्याणमल मून्दड़ा नि0 शाहपुरा

– वादिया

बनाम

1– जिलाधीश महोदय, भीलवाड़ा
2– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री त्रिलोक चन्द नोलखा : अधिवक्ता वादिया

निर्णय

वादिया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, वादिया को ग्राम रघुराजपुरा प0ह0 रघुराजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा मे अलोटमेन्ट कमेटी ने 27.07.1969 को आ0न0 120 मे आराजी अलोट की गई। अलोटमेन्ट कमेटी द्वारा आ0न0 120 को परिवर्तित करते हुए आ0न0 1216 मे से 5 बीघा जमीन परिवर्तित की गई। आदेश की पालना मे हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर कब्जा वादिया को सिपुर्द किया गया। अलोटमेन्ट कमेटी के आधार पर इन्तकाल नं0 492 हल्का पटवारी द्वारा भरा जाकर प्रतिवादी संख्या 02 तत्कालीन के द्वारा वादिया के पक्ष मे तय किया गया। वादिया का अलोट सुदा आराजी पर कब्जा लगातार चले आने के कारण इन्तकाल नं0 1220 हल्का पटवारी द्वारा तारीख 12.07.1985 को खातेदारी का नामान्तरकरण भरा गया जो सहायक सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा फैसल किया गया। जिसका इन्द्राज भी तत्कालीन जमाबन्दी मे किया गया। खातेदारी का इन्तकाल भरते समय वादिया केदार बाई का नाम केसर बाई हल्का पटवारी द्वारा सहवन से दर्ज कर दिया गया। शाहपुरा तहसील मे सेटलमेन्ट का कार्य चला जो पूर्ण होकर रेकार्ड तैयार हो चुका है। जिसमे आ0न0 1216 के नये नम्बर 1208 रकबा 1.69 है0 बनाये है। उक्त आराजी नम्बर पर वादिया का कब्जा नामान्तरकरण के समय से ही लगातार बिना किसी बाधा के आज तक चला आ रहा है। वादिया को किसी तरह की सूचना दिये बिना ही सेटलमेन्ट वालों ने उनके कब्जे काश्त वाली आराजीयात को बिलानाम दर्ज कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ व सेटलमेन्ट वालों को इस तरह का परिवर्तन करने का अधिकार कानून मे नही है। उनका कार्य क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त होने योग्य है। इस कारण वादिया को प्रतिवादीगण के विरूद्व खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद पत्र पेश करना पड़ रहा है। अतः वादिया के पक्ष मे प्रतिवादीगण के खिलाफ खातेदारी घोषणा की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद के पेरा 1 मे वर्णित पड़ोसो की आराजी जिसके नम्बर 1208 रकबा 1.69 है0 बने है, का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश बक्षावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

वादिया के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद पत्र के पेरा 1 व 3 मे वर्णित आराजी जो वादिया के कब्जे व काश्त मे चली आ रही है, से वादिया के उपयोग उपभोग मे किसी भी तरह की बाधा प्रतिवादीगण स्वयं या नोकरो या ऐजेन्टो से उत्पन्न न करे व न करावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 2 की ओर से दिनांक 05.06.2006 व प्रतिवादी नं0 1 की ओर से दिनांक 18.09.2006 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये जवाब हेतु अवसर की मांग की गई। दिनांक 14.03.2007 को प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। जिसमे बताया कि वादिया का नाम केदार बाई के स्थान पर केसर बाई कर दिया गया जो गलत है केसर बाई के स्थान पर केदार बाई किया जाना न्यायोचित है। सेटलमेन्ट के द्वारा वादिया का कब्जा नही होने से उक्त खाता समाप्त किया गया। दिनांक 23.04.2007 को वादिया स्वयं का शपथ पत्र व उदा पिता लालू माली व सोहनलाल पिता छीतर मीणा निवासियान रघुराजपुरा के शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किये गये जो क्रमशः पी0डब्ल्यू0 – 1, 2 व 3 है। पेरोकार सरकार द्वारा पुनः जवाब दिनांक 21.02.2017 को पेश किया गया। जिसमे बताया कि ग्राम रघुराजपुरा की साबिक आ0न0 1216 रकबा 5 बीघा भूमि नामान्तरकरण संख्या 492 दिनांक 30.09.1971 को मु0 केदार बाई पत्नि कल्याण मल सा0 शाहपुरा के नाम गैर खातेदारी से दर्ज हुई। जमाबन्दी रोटेशन संवत 2033 से 36 मे खाता संख्या 385 मे केदार बाई नाम ही दर्ज था। जमावन्दी रोटेशन संवत 2037 से 40 मे गैर खातेदार का नाम केदार बाई के बजाय केसर बाई दर्ज हो गया तथा खातेदार का नामान्तरकरण संख्या 1220 दिनांक 17.08.1985 भी केसर बाई पत्नि कल्याणमल मे नाम से दर्ज हुआ। भू–प्रबन्ध के बाद साबिक आराजी नम्बर 1216 के हाल नम्बर 1208 रकबा 1.69 है0 ने जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है। दिनांक 20.09.2016 को मुख्यातार नामा व शपथ पत्र कल्याणमल मून्दड़ा के प्रस्तुत किये गये। पेरोकार सरकार द्वारा साक्ष्य से जिरह नही की गई। प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र दोलतपुरा पर दिनांक 06.06.2018 को वास्ते सुनवाई हेतु रखा गया। मौके पर अभिभाषक वादिया ने उपस्थित होकर वाद पत्र मे अंकित तथ्यों व दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। वादिया का आधार कार्ड की फोटाप्रति प्रस्तुत की गई जिसमे केदार बाई पत्नि कल्याणमल मून्दड़ा वार्ड नं0 5 ऐजेन्सी मोहल्ला दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 492 बिलानाम काबिल काश्त आ0न0 1216 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा मे से 5 बीघा भूमि मु0 केदार बाई पत्नि कल्याणमल सा0 शाहपुरा दर्ज रेकार्ड है। जमाबन्दी ग्राम रघुराजपुरा संवत 2030 से 33 खाता संख्या 408 आ0न0 1216 रकबा 5 बीघा भूमि बारानी प्रथम मु0 केदार बाई जोजे श्री कल्याणमल मून्दड़ा सा0 शाहपुरा दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 1220 आ0न0 1216 रकबा 5 बीघा मु0 केसर बाई जोजे कल्याणमल सा0 शाहपुरा गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई। जमाबन्दी ग्राम रघुराजपुरा संवत 2037 से 40 मे इसी का इन्द्राज किया गया। जमाबन्दी संवत 2059 से 62 आ0न0 1208 रकबा 1.69 है0 किस्म बीड़ बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है। मिलान क्षैत्रफल से साबिक व हाल रेकार्ड की पुष्टि होती है। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादिया को

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

ग्राम रघुराजपुरा मे साबिक आ0न0 1216 मे रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन की गई। गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण खोलते समय वादिया गया नाम केदार बाई के बजाय केसर बाई कर दिया गया जिससे जमाबन्दी संवत 2037 से 40 मे भी यही इन्द्राज हो गया। वक्त सेटलमेन्ट भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दी गई। अभिभाषक वादिया द्वारा प्रस्तुत वादिया के नाम के समर्थन मे प्रस्तुत आधार कार्ड का अवलोकन किया गया जिसमे केदार देवी पत्नि कल्याणमल मून्दड़ा दर्ज है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादिया आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम रघुराजपुरा प0ह0 रघुराजपुरा तहसील शाहपुरा की जमाबन्दी संवत 2059 से 62 मे दर्ज आ0न0 1208 रकबा 1.69 है बिलानाम काबिल काश्त किस्म बीड़ मे से 1.25 है0 का वादिया केदार बाई पत्नि कल्याणमल मून्दड़ा सा0 शाहपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज एवं नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। शेष रकबा बिलानाम सरकार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र दोलतपुरा पर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 यादव)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner